रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



HRAGER AN ASUR The Gazette of India

onthenter

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

TOBLISTIED BT AUTHORITT

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISHAKHA 26, 1930

सं. 273] No. 273]

> 2. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध हो सकता है यदि वह कर अथवा राजस्व अथवा पूर्णत: वित्तीय स्वरूप का हो ।

 कोई अपराध प्रत्यर्पण अपराध है, यह निर्णय लेने के लिए प्रयोग में लाई गई परिभाषित शब्दावली की अपेक्षा उस अपराध के महत्वपूर्ण पहलुओं का उचित सम्मान करना होगा ।

अनुच्छेद- तीन

संगठित अपराध

इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा बावजूद इसके लिए अनुरोध प्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में वांछित व्यक्ति का कार्य संचालन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पाया गया हो, यदि उसके कार्य संचालन और उसके प्रभावों अथवा उसके अभीष्ट प्रभावों को कुल मिलाकर दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अन्तर्गत प्रत्यर्पण अपराध करने के रूप में समझा जाएगा ।

अनुच्छेद-चार

राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण से इन्कार

एक संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा । यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के तहत किए गए किसी कृत्य को यदि अपराध माना जाता है तो अनुरोध प्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष उस पर मुकदमा चलाने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को सामग्री तथा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद-पांच

राजनैतिक अपराध अपवाद

 अनुरोध प्राप्तकर्त्ता संविदाकारी प्रत्यर्पण से इन्कार कर सकता है यदि वह अपराध जिसके लिए अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो ;

विदेश मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16, मई 2008

भारत गणराज्य और उक्रेन के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 381(अ).— जबकि भारत गणराज्य और उक्रेन गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 30 अक्तूबर, 2002 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए किए गए थे और संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान 19 दिसम्बर, 2006 को नई दिल्ली में किया गया था और जो अनुच्छेद 22 के अनुसरण में 19 जनवरी, 2007 को प्रवृत्त हुआ और जिस संधि में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

अनुच्छेद-एक

प्रत्यर्पण का कर्त्तव्य

दोनों संविदाकारी पक्ष इस संधि के उपवंधों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी हो अथवा अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जिसे आरोपित किया गया हो अथवा प्रत्यर्पणीय अपराध में दोषसिद्ध हो, चाहे वह अपराध इस संधि के प्रवर्त्तन से पहले अथवा उसके बाद किया गया हो, साथ ही यदि इसे अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के किसी राष्ट्रिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया हो और अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष अपराधी की राष्ट्रीयता पर अपना क्षेत्राधिकार रखता हो, उसे एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत हैं ।

अनुच्छेद-दो

प्रत्यर्पण अपराध

 इस संधि के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्पण अपराध उस आचरण से बनता है जिसमें प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के तहत कम से कम एक वर्ष की अवधि की सजा का प्रावधान हो ।

- (क) विमान के अवैध कब्जे के दमन से सम्बद्ध अभिसमय जिसे 16 दिसम्बर, 1970 से हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला अपराध;
- (ख) नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध अवैध कृत्यों के दमन से सम्बद्ध अभिसमय, जिसे 23 सितम्बर, 1971 से मांट्रियल में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;
- (ग) राजनयिक ऐजेन्टों सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों पर रोक तथा दण्ड से सम्बद्ध अभिसमय, जिसे 14 दिसम्बर, 1973 से न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;
- (घ) बंधक बनाए जाने के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे 18 दिसम्बर, 1979 से न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध:
- (ङ) आतंकवादी हमलों के दमन से सम्बद्ध अभिसमय जिसे 12 जनवरी, 1998 से न्यूयार्क में हस्ताक्षर के लिए रखा गया, के क्षेत्र के भीतर आने वाला कोई अपराध;
- (च) ऐसा कोई अन्य अपराध जिसकी किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि/अभिसमय में व्यवस्था है, और जिसके दोनों देश पक्षकार हैं ;
- (छ) हत्या अथवा हत्या के लिए उकसाना ;
- (ज) आपराधिक मानव-वध;
- (झ) शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला अथवा घायल करने वाला कोई हमला, किसी हथियार द्वारा किसी खतरनाक पदार्थ द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से विद्वेषपूर्ण तरीके से घायल करना अथवा गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाना ;
- (ञ) कोई विस्फोट करना जिससे जीवन को खतरा हो अथवा सम्पति को नुकसान पहुंचाना ;
- (2) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करना अथवा उसे रखना जिसकी मंशा या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन के लिए खतरा पैदा करने अथवा संपत्ति को गम्भीर नुकसान पहुंचाने की हो;
- (ठ) किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ रखना जिसकी मंशा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन के लिए खतरा पैदा करना हो ;
- (ड) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध करने अथवा रोकने की मंशा से आग्नेयास्त्र का उपयोग;
- (ढ) जीवन को खतरे में डालने अथवा इस बात की परवाह
 नहीं करने कि इससे दूसरों के जीवन को खतरा होगा ;

के उद्देश्य से वैसी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना जो सार्वजनिक उपयोग के अथवा अन्य प्रकार के हैं ;

- (ण) अवैध गिरफ्तारी अथवा बंधक बनाने सहित अपहरण, स्वतंत्रता का गैरकानूनी हनन ;
- (प) कोई षडयंत्र अथवा उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास करने वाले के सहयोगी के रूप में भाग लेना ;
- (फ) आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध ।

अनुच्छेद-छह

षडयंत्र करने, उकसाने और प्रयास करने के अपराध और न्यायाधिकार

 किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रत्यर्पणीय अपराध को दुष्प्रेरित करना, करने का षडयंत्र करना, प्रयास करने अथवा अपराध करने के लिए उकसाने अथवा अपराध में सहयोगी के रूप में भाग लेने को दोनों पक्षों के कानूनों के अंतर्गत अपराध माना जाएगा ।

 संविदाकारी पक्षों के किसी भी नागरिक के लिए अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान पर अपराध करने को दोनों संविदाकारी पक्षों के कानुनों के अंतर्गत भी अपराध माना जाएगा।

अनुच्छेद-सात

प्रत्यर्पण और अभियोजन

 अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है यदि ऐसे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी उस अपराध अथवा उन अपराधों, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के संबंध में उसके विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।

2. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 1 में दिये गये कारणों के आधार पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष प्रत्यर्पण का अनुरोध अस्वीकार कर देता है तो वह मुकदमा चलाने के लिए इस मामले को अपने सक्षम अधिकारी को सौंप देंगे । वे प्राधिकारी अपना निर्णय उसी प्रकार लेंगे जैसे उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों के तहत इसी प्रकार के गंभीर अपराध के किसी मामले पर निर्णय लिया जाता है ।

 यदि ऐसे मामले में सक्षम प्राधिकारी मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेते हैं तो प्रत्यर्पण अनुरोध पर इस संधि के अनुसरण में पुर्नाविचार किया जाएगा।

अनुच्छेद-आठ

प्रत्यर्पण से इन्कार करने के आधार

प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा यदि :

- (क) वह व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष का नागरिक है; अथवा
- (ख) अनुरोध प्राप्त होने की तारीख को अपराध अथवा सजा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत कालातीत हो गयी हो ;
- (ग) जिस अपराध का वह आरोपी अथवा अभियुक्त है, वह सैन्य अपराध है जो सामान्य आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भी एक अपराध नहीं है;
- (घ) कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का सिद्धदोष पाया गया है और उसे चार माह अथवा इससे कम की कैद की सजा अथवा कैद का कोई अन्य स्वरूप दिया गया है;

यदि किसी व्यक्ति पर अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है, तो वह पूर्व रिहाई अथवा दोषसिद्धि के संबंध में अनुरोध कानूनों के अंतर्गत प्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के रिहाई का हकदार होगा। (v)

अनुच्छद-नौ

अभ्यपंण का स्थगन और अस्थायी अभ्यपंग

1. यदि बांछित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया अनुरोध प्रापकत्तां पक्ष के क्षेत्र में आरंभ की गयी है अथवा आपराधिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उसे कानूनी रूप से केंद किया गया है, तो उसे प्रत्यार्पित किया जाए या इसे कोई ऐसा अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है, को छोड़कर अन्य अपराधों के लिए आपराधिक प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा उसके रिहा होने तक स्थमित रखा जा सकता है। 2. वांछित व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अनुसरण में यह निर्णय न लिया जाए कि उसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है ।

के बदले वॉछित व्यक्ति को संविदाकारी पक्षों की आपसी सहमति द्वारा निर्धारित की जाने वाली शतों के अनुसरण में अस्थायी आधार पर 3. अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष अभ्यर्पण स्थगित करने अभ्यर्पित कर सकता है ।

अनुच्छेद-दस

संचार के माध्यम और केन्द्रीय प्राधिकारी

1. इस सांधि के तहत प्रत्यपंण अनुरोध राजनयिक माध्यमों के द्वारा किया जाएगा । 2. इस संधि के लिए संविदाकारी पक्ष अपने-अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के जरिए सूचित करेंगे । भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय महा अभियोजक का कार्यालय (ट्रायल-पूर्व जांच स्तर पर मामलों के लिए) और न्याय मंत्रालय (ट्रायल स्तर पर और सजा दिये जाने के प्राधिकारी विदेश मंत्रालय होगा । यूक्रेन के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी स्तर के मामलों के लिए) होगा ।

अनुच्छेद-ग्यारह

4

प्रत्यर्पण प्रक्रिया

1. अनुरोध लिखित में किया जाएगा और इसके साथ निम्नलिखित होगा :

the at

- वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही-सही विवरण और साथ ही अन्य सूचना जिससे उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और आवास का पता लगाने में सहायता मिले ; <u>(</u>भ)
 - उस अपराध के तथ्यों का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है ; और (ख)
 - (i) अपराध की परिभाषा दी गयी हो ; और कानून का पाठ, यदि कोई हो तो जिसमें : (F)
- (ii) उस अपराध के लिए अधिकतम दण्ड का निर्धारण हो ।

प्रत्यपिंत व्यक्ति पर अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष में उस अपराध के इतर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है तथा उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा उद्घाटित

2. उपर्युक्त सूचना के अतिरिक्त अभियोजन के लिए प्रत्यर्पण

अनुरोध के साथ अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वांरट/गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तार करने से संबंधित निर्णय और साथ ही साक्ष्य विवरण जिस पर प्रत्यर्पण अनुरोध आधारित है ।

और सिद्धदोष है, तो इसके साथ फैसले की एक सत्यापित प्रति और इस आश्य का वक्तव्य, कि व्यक्ति को दोष या सजा के लिए और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है इसकी कितनी सजा बाकी रह गई 3. यदि अनुरोध ऐसे व्यक्ति से सम्बधित है, जो पहले ही दोषी है, भी संलग्न किया जाएगा । 4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष यह मानता है कि इस संधि के लिए दिया गया प्रमाण या सूचना अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए पयीप नहीं है, तो उपयुक्त समय के भीतर अतिरिक्त प्रमाण या सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

अनुच्छेद-बारह

अनंतिम गिरफ्तारी

करने अथवा हिरासत में लेने अथवा उसके विरुद्ध लगे आरोप और पक्ष के क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा आरोप शुदा वांछित व्यक्ति 1. तत्काल मामलों में, अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के कानून के अनुसरण में, अनुरोधकत्ता संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के आवेदन पर वांछित व्यक्ति की अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है । आवेदन के साथ प्रत्यर्पण किए जाने का विवरण संलग्न किया जाएगा, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी जारी करने/नजरबंद करने अथवा वाले व्यक्ति और उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने/नजरबंद यदि उपलब्ध हो, उसका हुलिया तथा अन्य ऐसी सूचना, यदि कोई है, हिरासत में लेने को उचित ठहराने के लिए आवश्यक होगा । की गिरफ्तारी के लिए वारंट

अवधि तक और बढ़ाया जाएगा । यदि एक अनुरोध बाद में प्राप्त होता 臣 आवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 40 दिन की समाप्ति पर छोड़ दिया जाएगा । अनुरोध प्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर इस अवधि को 20 दिन की है तो इस प्रावधान के अधीन प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति को पुन: 2. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधप्राप्त नहीं होगा तो

3. अनंतिम गिरफ्तारी के लिए, अनुरोधप्राजकर्ता संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों को या तो राजनयिक माध्यम अथवा सीधे डाक द्वारा अथवा तार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इन्टरपोल), अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा लिखित प्रमाण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ।

देते हुए अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाएगा । अनुरोधकत्तां प्राधिकरण को इस विषय में बिना विलम्ब सूचित किया जाएगा ।

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष की सहमति के बिना विशिष्टता का नियम अनुच्छेद-तेरह

	लिए प्रत्यर्गण का अमुरोध किंचा है, किन्तु अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को विधि इसी प्रकार के मामले में मृत्युदण्ड नहीं देती है, प्रत्यर्गण से इंकार कि आनुरोधकर्ता के अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष पर्याप्त मानता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा । अनुच्छेद-सत्तरह ट्यवित्तयों का समर्पण 1. अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष प्रत्यर्गण के संबंध में अपने निर्णय को अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष निर्दिट ट. यदि प्रत्यर्गण स्वीकृत है, वाछित व्यक्ति का अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के प्राप्ति को अनुरोधफ्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रदेश से ऐसे सुविधाजनक संविदाकारी पक्ष के प्राधिकर्ता संविदाकारी पक्ष को निर्मा उ. अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के प्रदेश से प्रत्यर्गण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह के भीता । 3. अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्गति पक्ष के प्रदेश से प्रत्यर्गण निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह के भीता अथवा अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष को निर्याप्त को अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीतत नहीं ले जाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जाने वाले व्यक्ति को सुपुरीपी अथवा उसे लेना नियन्यणधीन न हो तो बह दूरसे संविदाकारी पक्ष को अधिसुचित करेगा । वोत नयन्यणधीन न हो तो बह हूरसे संविदाकारी पक्ष को अधिसुचित करेगा । वोतो नियन्यणधीन न हो तो ख धुपुरंगी के लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अतारह वस्तुओं की सुपुर्दगी के सिंप एक नई तारीख पर सहमत होंगे ।
	 भूक्ष का ावाथ इसा प्रकार क मामल म मृत्युदण्ड नहा दता ह, प्रल्पण भूर्स इक्ष प्रकार कि आनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष प्रवर्षात मानता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा । अनुच्छेद-सत्तरह अनुचित्तकारी पक्ष प्रत्यर्गण के संबंध मं अपने निर्णय को अनुरोधकरत्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करेगा । अपने निर्णय को अनुरोधकरत्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करेगा । अपने निर्णय को अनुरोधकरता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के निर्यमों के अन्तर्गत करेगा । अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के निर्यमों के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के निर्यमों के अन्तर्गत अपने प्रते संविदाकारी पक्ष के मितर अला । अत्वा आर्गा विदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के निर्यमों के अन्तर्गत अन्ते गा । अत्य अत्र प्रांग निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह के भीत प्रथ अं प्रति करा वा । अनुरोधकर्का संविदाकारी पक्ष के निर्यमों के अन्तर्गत सहित अहा सहित करा हो हो का कह लिए प्रत्यर्गण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जाने बाले वालि यहा को प्रथ को प्रत्यापित कि जाता । अदिरा प्रे के नहे तारीख पर सहमत होंगे । अति एक नई तारीखि पर सहमत होंगे । अतिर एक नई तारीखि पर सहमत होंगे । अत्तुदेगी के लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अत्तुदेगी
	का आवश्वासन देता है, जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाका 1 मानता है कि मृत्युरण्ड नहीं दिया जाएगा । अनुच्छेद-सत्तरह व्यक्तियों का समर्पण अनुच्छेद-सत्तरह व्यक्तियों का समर्पण अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष निर्दिक अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को सुविधाजनन पेचा जाएगा जैसा कि अनुरोधप्रप्राप्तकर्ता संविदाका अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को सुविधाजनन मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधफ्राप्तकर्ता संविदाका अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को नियमों के अन्तर्ग अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को नियमों के अन्तर्ग अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्ग तत्ती ही अवधि के स्लित व्यक्ति को अनुरोधकर तत्ती ही अवधि के स्लित को प्रस्थ को अत्यापित किए जा त्यपि से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित कि जा तको सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्वणाधीन न हो तो व तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी प8 तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
पक्ष पयाप	पक्ष पयाप्त मानता ह कि मृत्युदण्ड नहां दिया जाएगा । अनुच्छेद-सत्तरह व्यक्तियों का समर्पण . अनुपंधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करंगा । . अनुपंधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को सुचित करंगा । 2. यदि प्रत्पर्गण स्वीकृत है, वांछित व्यक्ति का अनुपंधप्राप्तकर संविदाकारी पक्ष के प्रारा अपने प्रदेश से से सुविधाजनव स्थान पर भेजा जाएगा जैसा कि अनुपंधकत्तां संविदाकारी पक्ष निर्दिष् करंगा । 3. अनुपंधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुपंधप्राप्तकर्ता संविदाकार् पक्ष के प्रदेश से प्रत्यपंण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह व भीतर अथवा अनुपंधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के निर्यत्ता अनुमत्य इतनी ही अवधि के लिए वार्हित व्यक्ति को अनुपंधिकत संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीत नहीं ले जाया जा तो अनुपंधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष उसी आपरार के लिए प्रत्यपंण से इन्कार कर सकता है । 4. यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- वाले व्यक्ति की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो व दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित करंगा । दोनों संविदाकारी पक्ष हुपुर्दगी के लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
1. अपने निर्ण अपने निर्ण 2. संविदाकार् स्थान पर भ करेगा । करेगा । करेगि अथ संविदाकार् स् संविदाकारी संविदाकारी संविदाकारी	अनुच्छद-सत्तरह अनुच्छद-सत्तरह च्यवित्तयों का समर्पण 1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष प्रसित करेगा । 2. यदि प्रत्यपंण स्वीकृत है, वांछित व्यक्ति का अनुरोधप्राप्रकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रदेश से सुविधाजनक स्थान पर भेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधकत्तां संविदाकारी पक्ष के प्रदेश से प्रत्यपंण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह कं भीतर अथवा अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य इतनी हो अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के प्रदेश से प्रत्य माह के भीतर अनुमत्य इतनी हो अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीतर नहीं ले जाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकरत्तां संविदाकारी पक्ष उसी अपराध के लिए प्रत्यपंण से इन्कार कर सकता है । 4. यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जाने बाले व्यक्ति की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष सुपुर्दगी के लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सिंप एक नई तारीख पर सहमत होंगे ।
1. अपने निर्ण अपने निर्ण सांविदाकार् स्थान पर अ भीतर अध भीतर अध भीतर अध सींविदाकारी नहीं ले जा सांविदाकारी सांविदाकारी सांविदाकारी सांविदाकारी	स्वकितयों का समर्पण अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष प्रत्यर्पण के संबंध ग अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करेगा । यदि को अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष निर्दिष्ठ मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधक्रप्राप्तकर्ता संविदाकार् अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकार् अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकार् स से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह व जा अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्ग तनी हो अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तत्ती हो अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तत्ती हो अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तत्ती हो अनुरिधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपराध तत्ती हो अनुरिधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त्यर्पण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त्वर्धा पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
1. अपने निग्ण संविदाकार् स्थान पर भ करेगा ।	अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष प्रत्यर्पण के संबंध ग य को अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करेगा । यदि प्रत्यर्पण स्वीकृत है, बांछित व्यक्ति का अनुरोधप्र्राप्तकत्त मे पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रदेश से सुविधाजनव मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधकर्ता संविदाकार्र श से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह वे आनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्गत तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत्त तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत्त तत्ती ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को प्राराध त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त्यपंण से इन्कार कर सकता है । वदि परिध्यतिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह राकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
अपने निर्ण अपने निर्ण 2. संविदाकार् करेगा ।	य को अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष को सूचित करेगा । यदि प्रत्यर्पण स्वीकृत है, बांछित व्यक्ति का अनुरोधभ्राप्तकत मे पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रदेश से सुविधाजनव मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधकत्ता संविदाकार्र श से प्रत्यर्पण निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह व आनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्गत तनी ही अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकत्त तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत्त त हा अनुरोधधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपराध त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थतिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- तको सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह राकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
2. स्थान पर करेगा । करेगा ।	यदि प्रत्यर्गण स्वीकृत है, वांछित व्यक्ति का अनुरोधप्राप्तकत्त 1 पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अपने प्रदेश से से सुविधाजनव मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधकता संविदाकार् अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकार् श से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह व वा अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्ग तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत तन ही अनुधि के लिए वांछित व्यक्ति के प्रता या जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- वदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- तको सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	म् क भ्राषकारया द्वारा अपन प्रदश स एस सुावधाजनव मेजा जाएगा जैसा कि अनुरोधकत्तां संविदाकार्र अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकार्र श से प्रत्यपीण निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह व ला अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्गत तनी ही अवधि के लिए वांछित व्यक्ति को अनुरोधकत्त t पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीत या जाता तो अनुरोधप्राप्तकरतां संविदाकारी पक्ष उसी अपराध त्वाता तो अनुरोधप्राप्तकरतां संविदाकारी पक्ष उसी यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जान् बही परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जान् वदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- वदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्याधीन न हो तो वह तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । जनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधग्राप्तकर्त्ता संविदाकार श से प्रत्यर्पण निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह व वा अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अनुरोधकरत तनी ही अवधि के लिए बॉछित व्यक्ति को अनुरोधकत तनी ही अवधि के लिए बॉछित व्यक्ति को अनुरोधकत तनी ही अवधि के लिए बॉछित व्यक्ति पक्ष उसी अपरा या जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष र्यपण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जा- त्वकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकार श से प्रत्यपंग निर्णय को सूचना प्राप्त होने से एक माह व वा अनुरोधकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्ग तनी ही अवधि के लिए बांछित व्यक्ति को अनुरोधकर त को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपराध त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यार्पित किए जा- तकी सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह राकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	श से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से एक माह व वा अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के नियमों के अन्तर्ग तनी हो अवधि के लिए बॉछित व्यक्ति को अनुरोधकर I पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा। यदि उसे इस अवधि के भीत या जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपरा त्यर्पण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जा- यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जा- वदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जा- तको सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वा तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
	वा अनुराधकत्ता सावदाकारा पक्ष क नियमा क अन्तर्ग तनी ही अवधि के लिए वॉछित व्यक्ति को अनुरोधकत l पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीत त्यपिण से इन्कार कर सकता है । त्यपिण से इन्कार कर सकता है । बहै परिधितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापित किए जाग त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद–अठारह बस्तुओं को सुपुर्दगी
	तना हा अवाय कालए वााछत व्याक्त का अनुरायकत 1 पक्ष के प्रदेश में ले जाएगा । यदि उसे इस अवधि के भीत या जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपरा त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यार्पित किए जान त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वस्तुओं की सुपुर्दगी
	या जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष उसी अपराध त्यपंण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जा- त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह राकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद-अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	त्यर्पण से इन्कार कर सकता है । यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जान त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष तिलए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद–अठारह वसतुओं की सुपुर्दगी
	यदि परिस्थितिवश संविदाकारी पक्ष को प्रत्यापिंत किए जान् त की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह तकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद–अठारह बसतुओं की सुपुर्दगी
	बाले व्यक्ति की सुपुर्दगी अथवा उसे लेना नियन्त्रणाधीन न हो तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष सुपुर्दगी के लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद–अठारह बस्तुओं की सुपुर्दगी
	राकारी पक्ष को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी पक्ष लिए एक नई तारीख पर सहमत होंगे । अनुच्छेद–अठारह बस्तुओं की सुपुर्दगी
सुपुरुगा क 1. सनिदाकार्र	ालए एक नइ ताराख पर सहमत हाग । अनुच्छेद-अठारह बस्तुओं की सुपुर्दगी
1. संविदाकार्	अनुच्छेद-अठारह बस्तुओं की सुपुर्दगी
1. संविदाकार्र	बस्तुओं की सुपुर्दगी
1. संविदाकार्र	
	प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधप्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता
	संविदाकारी पक्ष अनुरोध और अपने अनुमत्य नियमों के अनुसार
द्वारा जारा प्रमाणित दरतावजा आर दज बयाना क सबय म दूसर अनुरोधकत्ता मॉन्डनन्तमा मण चरे मरेण में सिन्तमी भी रूप में मलमान्व चरी शावणाव्या .	अनुरोधकत्तो संविदाकारी पक्ष को अपराध के सबूत अथवा साक्ष्य के ४४
रूप मे (ब्	रूप मे (कुल राशि सहित) सोप दगा ।
· · · · · · · ·	 याद संबाधत सामान का अनुराधप्राप्तकता सावदाकारा पक्ष थेन में लब्ल अफ़ामहित किंगा गुगा तो तह निल्लामन
गरी पक्ष के प्रदेश में भी सार्वजनिक का	भ भाव न जब्दा जनमा जानवाला ामना गा जा पह गिराम्थित कार्रवाई के संबंध में अस्थायी तौर पर उसे रख सकता है अथवा इस
	शतं पर सौंप सकता है कि उसे वापिस करना होगा ।
	3. ये उपबन्ध अनरोधप्रापकर्ता पक्ष वॉहिल व्यक्ति के अतिरिक्त
	किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकल प्रभाव नहीं डालेंगे ।
	जब ये अधिकार विद्यमान हों तब सामान को अनुरोध मिलने पर
	कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो सके
हे, अनुराधप्राप्तकत्ता सविदाकारा पक्ष सभा पारास्थातया आर विश्वाघ अनुरोधप्राप्तक स्तम से समोकित्म संक्षीत्व स्वला अम्माक्षें से से से स्वतम अन्तर्भ सने	अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष को लौटा दिए जाएं ।
रूप स सापाक्षक गमारता तथा अपराथा क हान क स्थान, जनुराथा का संबंधित तिथियों. बॉछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता. दसरे राज्य के लिए उत्तरवर्ती	अनुच्छेद-उन्नीस
प्रत्यर्पण की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय करेगा ।	प्रत्यपंण में परस्पर विधिक सहायता
अनुच्छेद-सोलह	प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने कानून में अनुमत सीमा के
मृत्युदण्ड	अपराध के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध
स की विधि के तहत वांछित रेट	किया गया है, आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा ।

अनुच्छेद-बीस

दस्तावेजों की भाषा

इस संधि के अनुरूप प्रस्तुत किया जाने वाला अनुरोध, समर्थन दस्तावेज और अन्य सम्पर्क के साथ अंग्रेजी अनुवाद रहेगा ।

अनुच्छेद-इक्कीस

व्यय

प्रत्यर्पण के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में किया गया व्यय उसी पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा ।

अनुच्छेद-बाईस

अन्तिम उपबन्ध

 यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेजों का संविदाकारी पक्षों द्वारा परस्पर सहमत स्थान और तारीख पर यथाशीघ्र आदान-प्रदान किया जाएगा । यह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगी ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस संधि को राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे राज्य को किसी भी समय लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है, और यदि इस आशय की सूचना दे दी गई है, यह संधि इस सूचना के प्राप्त होने के छह माह के पश्चात् समाप्त हो जाएगी ।

आज नई दिल्ली में अक्टूबर मास 2002 के तीसरे दिन हिन्दी, यूक्रेनी और अंग्रेजी भाषाओं में दो–दो मूल प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अत: अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप–धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि अध्याय III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से युक्रेन पर लागू होंगे ।

[फा.सं. टी.-413/24/1995]

पी.एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

Extradition Teaty Between the Republic of India and Ukraine

G.S.R. 381 (E).—Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and Ukraine was signed at New Delhi on 30th October, 2002; and the exchange of the Instrumens of Ratification of the Treaty took place at New Delhi on 19th December, 2006 and has entered into force from 19th January, 2007 in terms of Article 22, and which Treaty provides as follows :—

The Republic of India and Ukraine hereinafter referred to as Contracting Parties;

Desirous of making more effective the corporation of the two countries in the suppression of crime in general and organized crime in particular by making provision for the reciprocal extradition offenders; Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Duty to Extradite

The Contracting Parties agree to extradite to each other, pursuant to the provisions of this Treaty, any person, who is accused or charged with or convicted of an extraditable offence, by the competent authorities of the requesting Contracting Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty, as well as if it is committed in a third State by a national of the requesting Contracting Party and the requesting Contracting Party bases its jurisdiction on the nationality of the offender.

ARTICLE 2

Extradition Offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct, which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenues or is one of a purely fiscal character.

3. While arriving at a decision of what constitutes an extradition offence, due regard shall be paid to the substantive aspects of the offence, rather than the terminology used.

ARTICLE 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the territory of the requested Contracting Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

ARTICLE 4

Refusal of Extradition of Nationals

The nationals of one of the Constracting Parties shall not be extradited to the other Contracting Party. The requested Contracting Party shall submit the material and evidence to its competent authorities for prosecution if the act committed is considered as on offence under the laws of both the Contracting Parties

ARTICLE 5

The Political Offence Exception

1. The requested Contracting Party may refuse extradition, if the offence, for which it is requested, is considered as offence of a political character.

2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character :

1814 GI 08-2

- (a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;
- (b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971;
- (c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 December, 1973;
- (d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 Decebmer, 1979;
- (e) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, opened for signature at New York on 12 January, 1998;
- (f) any other offence provided in an international treaty/convention to which both countries are parties;
- (g) murder or incitement to murder;
- (h) culpable homicide;
- (i) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
- (j) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
- (k) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
- (l) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;
- (m) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
- (n) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
- (o) kidnapping, abduction, unlawful deprivation of liberty including unlawful confinement or hostage taking;
- (p) a conspiracy or an attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts

to commit such an offence; and

(q) any other offence related to terrorism.

ARTICLE 6

Offences of conspiracy, incitement and attempt, and Extra-territorial jurisdiction

1. It shall be an offence under the laws of both the Contracting Parties for any person to abet, conspire or attempt to commit, or incite or participate as an accomplice in the commission of, any extradition offence.

2. It shall also be an offence under the laws of both the Contracting Parties, for any citizen of a Contracting Party to commit any offence in any place beyond its territory.

ARTICLE 7

Extradition and Prosecution

1. The requested Contracting Party may refuse to extradite the person sought if the competent authorities of such Contracting Party are proceeding against him in respect of the offence or offences for which extradition is requested.

2. Where the requested Contracting Party refuses a request for extradition for the reasons as provided in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any serious offence of a similar nature under the law of that Contracting Party.

3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

ARTICLE 8

Grounds for refusal of Extradition

Extradition shall not be granted if:

- (a) the person is a citizen of the requested Contracting Party; or
- (b) on the date when the request is received, the offence or the sentence has become barred by lapse of time under the laws of the requested Contracting Party; or
- (c) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law; or
- (d) a person who has been convicted of an extradition offence was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or less; or
- (e) a person if proceeded against in the territory of the requested Contracting Party for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under the laws of the requested Contracting Party relating to previous acquittal or conviction.

ARTICLE 9

Postponement of Surrender and Temporary Surrender

1. If criminal proceedings against the person sought are instituted in the territory of the requested Contracting Party, or he is lawfully detained in consequence of criminal proceedings, the decision whether or not to extradite him may be postponed until the criminal proceedings have been completed or he is no longer detained, for an offence other than that for which extradition is requested.

2. A person sought may not be extradited until it has been decided in accordance with the law of the requested Contracting Party that he is liable to be extradited.

3. The requested Contracting Party may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person sought to the requesting Contracting Party in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between the Contracting Parties.

ARTICLE 10

Channels of Communications and Central Authorities

1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channels.

2. For the purposes of this Treaty the Contracting Parties shall communicate through their Central Authorities. The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs. The Central Authority for Ukraine shall be the General prosecutor's Office (concerning cases at the stage of pre-trial investigation) and the Ministry of Justice (concerning cases at the trial stage and at the stage the sentence is carried out).

ARTICLE 11

Extradition Procedures

1. The request shall be made in writing and shall be accompanied by the following :

- (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
- (b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and
- (c) the text, if any, of the law:
 - (i) defining that offence; and
 - (ii) prescribing the maximum punishment for that offence.

2. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest/decision on the detention or taking into custody issued by a competent court or authority of the requesting Contracting Party, as well as by a statement of evidence on which the extradition request is based.

3. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by

a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.

4. If the requested Contracting Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within a reasonable time.

ARTICLE 12

Provisional Arrest

1. In urgent cases the person sought may, in accordance with the law of the requested Contracting Party, be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the requesting Contracting Party. The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest/decision on the detention or taking into custody or a conviction against him, and, if available, his description and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest/decision on detention or taking into custody had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the requested Contracting Party.

2. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 40 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This period will be extended by a further period of 20 days upon the request of the requesting Contracting Party. This provision shall not prevent the rearrest of the person sought for the extradition if a request is subsequently received.

3. A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested Contracting Party either though the diplomatic channels or directly by post or telegraph or through the International Criminal Police Organisation (Interpol) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the requested Contracting Party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.

ARTICLE 13

Rule of Speciality

1. The extradited person may not without consent of the requested Contracting Party, be prosecuted or punished in the requesting Contracting Party for an offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the requested Contracting Party, be extradited to a third State.

The consent of the requested Contracting Party is not required if:

7

- (a) the extradited person has not left, though he had the opportunity, the territory of the requesting Contracting Party within 45 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the requesting Contracting Party for reasons beyond his control;
- (b) if the extradited person, once having left the territory of the requesting Conracting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of the person to the requesting Contracting Party or matters arising in relation to such offences.

4. A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

ARTICLE 14

Recognition of Documents and Evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent courts or other authorities in the prescribed from in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.

2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 15

Competing Requests

If extradition is requested concurrently by more than one State, either for the same offence or for different offences, the requested Contracting Party shall make its decision having regard to all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality of the person sought and the possibility of subsequent extradition to another State.

ARTICLE 16

Capital Punishment

If under the law of the requesting Contracting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the requested Contracting Party does not provide for the death penality in a similar case, extradition may be refused unless the requesting Contracting Party gives such assurance as the requested Contracting Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

ARTICLE 17

Surrender of Persons

1. The requested Contracting Party shall inform the requesting Contracting Party of its decision with regard to the extradition.

2. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the requested Contracting Party to such convenient point of departure from its territory as the requesting Contracting Party shall indicate.

3. The requesting Contracting Party shall remove the person sought from the territory of the requested Contracting Party within one month or such longer period as may be permitted under the law of the requested Contracting Party. If he is not removed within that period, the requested Contracting Party may refuse to extradite him for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a Contracting Party from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Contracting Party. The two Contracting Parties shall agree on a new date for surrender.

ARTICLE 18

Surrender of Articles

1. When a request for extradition is granted, the requested Contracting Party shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the requesting Contracting Party articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.

2. If the articles in question are liable to sezure or confiscation in the territory of the requested Contracting Party, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.

3. These provisions shall not prejudice the rights of the requested, Contracting Party or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the requested Contracting Party without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

ARTICLE 19

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, affored the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offece for which extradition has been requested.

ARTICLE 20

Language of Documents

The request, supporting documents and the other communications to be produced according to this Treaty, shall be accompanied by a translation in English.

ARTICLE 21

Expenses

Expenses incurred in the territory of the requested Contracting Party in connection with extradition shall be born by that Party.

ARTICLE 22

Final Provisions

1. This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible at a place and on a date mutually agreed by the Contracting Parties. It shall enter into force thirty (30) days after the date of the exchange of instruments of ratification.

2. Either of the Contracting Parties may terminate this Treaty at any time by given a written notice to the

other Contracting Party through the diplomatic channels; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of such notice by the . other Contracting Party.

Done at New Delhi this Thirty Day of October 2002 in two originals, each in Hindi, Ukrainian and English, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Ukraine from the dated of the publication of this notification.

[No. T-413/24/1995]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 9